

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 48/2022

बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा जिला दौसा राजस्थान जरिये नमृता दुबे, प्राधिकृत अधिकारी

..... प्रार्थी

बनाम

श्रीमती ममता देवी शर्मा पत्नि श्री गोवर्धन शर्मा पता- ठाकुरजी का मौहल्ला, खोहरा खुर्द, कुण्डल, दौसा राजस्थान-303325 दूसरा पता- प्लॉट नंबर 807/1, खसरा नंबर 310, अयोध्या नगर, सैथल रोड, दौसा कलां तहसील दौसा जिला दौसा राज0 303303

(अप्रार्थी/ऋणी)

प्रा0 पत्र अ0धा0 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थित : श्री रोशन कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 13.07..2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा ने अप्रार्थी/ऋणी को 24,00,000/- (रुपये चौबीस लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।


अधिवक्ता प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा को सुना गया। हमने प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13/2 के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक जमानत नहीं

निरंतर ... 2 पर

करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर बंधक रखी गई श्रीमती ममता देवी शर्मा पत्नि श्री गोवर्धन शर्मा की आवासीय संपत्ति जो प्लॉट नंबर जे-807/1(दौसा नगर परिषद नंबर), खसरा नंबर 310, अयोध्या नगर, सैथल रोड, राजस्व ग्राम दौसा कलां जिला दौसा राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका बिल्टअप एरिया 1800 वर्गफीट है जो कि पुलिस थाना कोतवाली दौसा के अंतर्गत है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक ऑफ बडौदा मुख्य शाखा दौसा को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 13.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(कमल चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा